प्रतिलिपि आदेश दिनांक 17-6-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 1202-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 8-1-14 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्र0क्र0 495/बी-121/07-08.

दुर्जा पुत्र भूरा अहिरवार
निवासी ग्राम मिनौरा तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0 अन्य-3 --- आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन --- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1202/111/2014 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17.6.14	यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 494/बी–121/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2014 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के निगरानी में वर्णित तथ्यों पर प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि वर्ष 1981 में निगरानीकर्तागणों को अस्थाई पटटा मिला था और तभी से वह काविज होकर खेती कर रहे हैं निगरानीकर्तागण का किस्तबंदी खतौनी में संबत 2035 से नाम आ रहा है । प्रकरण कमांक 42 अ 63/84–85 में आदेश दिनांक 27–12–85 से उक्त भूमि पर प्रविष्टियॉ हुई है जो खसरा नबर 9/8 रकबा 0.902 हैक्टर पर भूमिस्वामी हक पर है, किन्तु कलेक्टर एंव अपर आयुक्त वास्तविकता के विपरीत जाकर आदेश पारित किये है इसलिये निगरानी सुनवाई योग्य है। 4/ आवेदकगण के अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ ने जांच में पाया कि खसरा कमांक 9/8 के रकबा 0.902 हैक्टर पर प्रकरण कमाक 42 अ–63/1984–85 में पारित आदेश दिनांक 27–12–85 अंकित कर फर्जी खसरा प्रविष्टि की गई है तद्नुसार	

उन्होंने प्रतिवेदन दिनांक 19–12–2005 प्रस्तुत कर कलेक्टर टीकमगढ़ को अवगत कराया है और कलेक्टर टीकमगढ़ ने आवेदकगण के विरूद्व स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 26/2007–08 पंजीबद्व कर सुनवाई हेतु विधिवत् सूचना पत्र जारी किया है। सुनवाई के दौरान आवेदक यह प्रमाणित नहीं कर सके, कि वादग्रस्त भूमि का पटटा उन्हें भूमिस्वामी हक में मिला है न तो वह पटटा प्रस्तुत कर सके और न ही तहसील न्यायालय के दायरे में प्रकरण कमांक 42 अ 63/84–85 दायर हुआ है, जिसके कारण कूटरचना करके फर्जी खसरा प्रविष्टि पाने से कलेक्टर व्दारा शासकीय अभिलेख दुरूस्त करने का निर्णय लेने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 8–1–14 से कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 494/बी–121/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2014 स्थिर रहता है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य